न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/160/2025 दायर दिनांक 10.11.2025 रजि0 न0 2025/383

अपीलार्थी:–	प्रत्यर्थी:–
श्री किशन सिंह धानावत, अध्यक्ष अलवर सहकारी उपभोक्ता भंडार नं० 11, शिवपुरा, केडलगंज, अलवर जिला अलवर (राज.)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन रसद अधिकारी, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 24.11.2025

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 13.10.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.11.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी का पत्रांक क्र० रसद/2025/4022 दिनांक 17.11.2025 से अपीलार्थी को जवाब प्रेषित किया गया है कि वांछित सूचना काल्पनिक/प्रश्नात्मक/सृजनात्मक प्रकृति की है जो आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 2एफ व धारा 7(9) के तहत देय नहीं है। संदर्भित सूचना संबंधित पत्रावली की नकल/प्रमाणित प्रति साधारण प्रतिलिपि नियम के तहत आज द्वारा दिनांक 30.07.2025 को आवेदन किये जाने पर दिनांक 13.08.2025 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक समान विषय वस्तु/पत्रावली की बार–बार नकल/प्रतिलिपि देय नहीं है। आवेदन खारिज कर निस्तारित किया जावे।
6. अतः पत्रावली पर आये तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रेषित किया जा चुका है जो कि पर्याप्त व उचित है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 24.11.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर